IV 29/15

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 955469

न्यास-पत्र

रामराजी-महराजी स्मारक जनसेवा न्यास

ग्राम–भवतर चक भवतर, पोस्ट– गम्भीरपुर, जिला–आजमगढ़

हम कि ऋषिदेव उपाध्याय पुत्र स्व0 पंचदेव उपाध्याय, ग्राम – भवतर चक भवतर, पोस्ट– गम्भीरपुर, तह0–लालगंज, जिला – आजमगढ़ का हूँ। हम मुकिर समाज के आर्थिक , सामाजिक , सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहता हूँ तथा हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ–साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाजमें सुख शान्ति,अपासी सद्भाव व विश्राम सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्वास्थ्य एवं आदर्श गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों की जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, शिक्षा व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगारों का अवसर उपलब्ध कराया

क्रमशः...2

नि0 ऋषिदेव उपाध्याय

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CG 955470

(2)

जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई–चारा, साम्प्रदायिकता ताल–मेल बनाये रखने व समाज को शिक्षित करने में लिंग–भेद,जाति–पाति, छुआ–छुत, धर्म एवं सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावना कहीं से भी बाधक न हो। जनहित के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों के अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की गयी है। हम मुकिर अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत 11000/– (ग्यारह हजार रूपया) का एक न्यारा कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल–अचल सम्पत्ति की व्यवस्था करते रहेंगें। हम मुकिर ने अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित किया है। जिसकी स्थाना निम्न रूपेण की जायेगी।

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम " **रामराजी–महराजी जनसेवा न्यास** " पत्र में आगे "न्यास" अथवा "ट्रस्ट" शब्द से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त न्यारा का **कार्यालय – ग्राम– भवतर चक भवतर, पो0 – गम्भीरपुर, तह0 – लालगंज, जिला– आजमगढ** होगा। उक्त न्यास के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों के सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पतों पर न्यास मजकुर द्वारा गठित की जाने वाले संस्थाओं और समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। पूर्व में हम मुकिर व हम मुकिर के पूर्वजों द्वारा जो संस्थाएं स्थापित कर उनका पंजीयन कराया गया है और जिनका विवरण इस

क्रमशः...3

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CG 955471

न्यास पत्र में वर्णित न्यास के उद्देश्यों में दिया गया है भी हम मुकिर द्वारा स्थापित किये जाने वाले इस न्यास/ट्रस्ट के अधीन जानी व समझी जायेगी।

3. यह कि हम मुकिर न्यास मजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा न्यास के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेंगे। हम मुकिर द्वारा न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में न्यास के रूप में कार्य करने को सहमत हैं व न्यास की न्यासी नामित करते हैं। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जायेगा। जिनकी कुल संख्या 3 से कम तथा 7 से अधिक नहीं होगी। भविष्य में हम मुकिर द्वारा न्यास की उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिर द्वारा नामित न्यासी तथा मुख्य न्यासी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। न्यास की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा न्यासी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है।

1. **श्री तारकेश्वर उपाध्याय पुत्र श्री ऋषिदेव उपाध्याय, ग्राम – भवतर चक भवतर, पो0–गम्भीरपुर, जिला – आजमगढ़।**
2. **श्री ज्ञानेश्वर उपाध्याय पुत्र श्री ऋषिदेव उपाध्याय, ग्राम – भवतर चक भवतर, पो0–गम्भीरपुर, जिला – आजमगढ़।**
3. **श्रीमती गंगोत्री पत्नी श्री ऋषिदेव उपाध्याय, ग्राम – भवतर चक भवतर, पो0–गम्भीरपुर, जिला – आजमगढ़।**
4. **श्रीमती बीना उपाध्याय पत्नी श्री तारकेश्वर उपाध्याय, ग्राम – भवतर चक भवतर, पो0–गम्भीरपुर, जिला – आजमगढ़।**
5. **श्रीमती पुष्पा उपाध्याय पत्नी श्री ज्ञानेश्वर उपाध्याय, ग्राम – भवतर चक भवतर, पो0–गम्भीरपुर, जिला – आजमगढ़।**

ऋषिदेव उपाध्याय

क्रमशः 4

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CG 955472

6. श्रीमती आशा मिश्र पत्नी श्री शैलप्रकाश मिश्र, ग्राम–भीखमपुर देवखरी, पोस्ट–भैंवरनाथ, जिला–आजमगढ़।

4. यह कि हम मुकिर द्वारा " **रामराजी–महराजी जनसेवा न्यास** " के नाम से जिस न्यास की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना व " **रामराजी–महराजी जनसेवा न्यास** " के समस्त उद्देश्यों का क्रियान्वयन करना।
2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना एवं आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।
3. नव–युवक, नव–युवतियों व छात्र–छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक जूनियरस्कूल, हा० स्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक , स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालय एवं महाविद्यालयों ,विधि महाविद्यालयों शिक्षण–प्रशिक्षण महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं उनका संचालन करना।

4. वर्तमान समय में विज्ञान के जन जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उनसे सम्बन्धित ज्ञान की जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नोलाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।

5. समाज के समुदायिक विकास को परस्पर भाई–चारा, सम्प्रदायिक ताल–मेल, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के

क्रमशः 5

निरंजन देव उपाध्याय

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CG 955473

लिए युवकों एवं महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।

6. न्याय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों के प्रचार एवं प्रशिक्षण तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों के प्रतिनिधि विश्वविद्यालयों परिनियमावलीयके अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमादित करायी गयी प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. लिंग–भेद, जाति–पाति, छुआ–छूत, धर्म व सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावनाओं को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण / जागरूकता / सर्वे / लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।

8. शिक्षा प्रचार / प्रसार / उन्नयन तथा प्रदेश व देश के किसी भीक्षेत्र में सामान्य शिक्षा / गैर तकनीकी शिक्षा / विधि शिक्षा / शिक्षा–प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना।

9. स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए किड–केयर, नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पी0जी0 कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के स्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।

10. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे– मेडिकल, इंजीनियर, पालिटेकनिक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0 में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेण्टरों की व्यवस्था तथा उससे होने वाली आय से संस्था का पोषण करना एवं पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल कालेज एवं प्रबन्धन कालेज आदि खोलना।

11. संस्था के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनके योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, उनके न मिलने की दशा में स्थान पुरूषों द्वारा भरा जा सकता है।

12. अनु0जाति, अनु0जन0जाति, पिछडे एवं कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार योजना का

क्रमशः..6

नि0 म0 षि0 दे0 उपाध्याय

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CG 955474

प्रबन्ध करना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।

13. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे–सिलाई, कढ़ाई, बनुाई ,पेन्टिंग, स्क्रीन, इलेक्ट्रानिक वायर मैन,डीजल एवं मोटर मकेनिक,रेडियो एवं टी0वी0 ट्रेनिंग , टाईपिंग, शार्ट हैण्ड , कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि जैसे–केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष,पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष,छात्रावास, भोजन, वस्त्र दवा, यातायात,खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।
14. खाद्य प्रसंस्करण जैसे – जैम, जैली, मुरब्बा, आचार, कन्चप तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।
15. युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के लिए अन्य उपयोग प्रशिक्षण जैसे–हैण्डी क्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग कला, निबन्ध व्याख्यान तथा खेल–कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथ विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी संस्था का उद्देश्य है।
16. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग उद्देश्य है।
17. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे–गुंगे, बहरे, अंधों, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों युवाओं एवं अनुसूचित जनजाति/ पिछड़े वर्ग/गरीब बच्चों निराश्रित, अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय छात्रावास एवं भोजन वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्म निर्भर बनाना। बिना लाभ हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना।
18. वृद्धों के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना जिसमें मनोरंजन, पढ़ने–लिखने व उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा व स्वतन्त्रता हो।

क्रमशः..7

नि० ऋषि देव उपाध्याय

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 955475

19. महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्ववास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी सहायता देना।
20. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बरात घर, धर्मशाला, सुलभ, शौचालय, चिकित्साघर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द्र, आँगनबाड़ी, बालबाड़ी, ड्रामा स्टेज, प्रशिक्षण हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।
21. सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण,औषधियों एवं जड़ी बूटियों वाले पौधों का उत्पादन (मेडिसनल प्लान्ट) (सौन्दर्य उपयोगी पौधे) (फ्लोरी कल्चर) सुगन्ध हेतु अन्य पौधों या अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोपण करना। सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टि से विलुप्त पौधों की खेती करना।
22. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों के पालन करते हुए उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता एवं अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन-जन तक पहुँचाना।
23. राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील तथा अति संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।
24. संस्था की उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूमि, मकान तथा वाहनों को खरीदना बेचना उन्हें किराये या लीज पर लेन-देन करना मार्गेज करना या मकान बनवाना बेचना आदि।
25. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सकें

क्रमशः..8

नि० म्०। ठि देवउपाध्याय

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CG 955476

(8)

जैसे – यूनिसेफ, आई०सी०डी०एस०, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।

26. घरेलू ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग , मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, तथा इनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी रोकथाम, टीकाकरण के लिए युवायों को प्रेरित/जागरूक/. प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न करना।

27. बीडी, सिगरेट, तम्बाकू,पान मसाला, गांजा, भांग, स्मैक,एल०सी०डी० या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वालों को उनसे होने वाले बीमारियों के प्रति सतर्क करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।

28. समाज की व्याप्त बुराईयों जैसे–अन्धविश्वास, बाल–विवाह, दहेज प्रथा, बाल शोषण, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंग भेद, अस्पृश्यता,जाति–पाति एवं छुआ–छूत की भावना एवं शैक्षिक भावना के ह्रास को दूर करना तथा इसके लिए जागरूकता/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

29. महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रहार या आक्रमण/यौन प्रताड़ना , युवतियों का खरीद फरोख्त, पारियारिक हिंसा, महिला अथवा विधवा उत्पीड़न आदि से मुक्ति दिलाना। इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना अथवा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीड़न मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।

30. सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना–विभिन्न त्यौहारों जैसे–होली, दीपावली, दशहरा, मुहर्रम, ईद, बकरीद अथवा समारोह जैसे–शादी , गवना, सालगिर , जन्मदिन पर होने वाले भोजन तथा अनाज के अपव्यय की रोकथाम हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना।

क्रमशः..9

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये
रु.50

FIFTY RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 570548

31. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे योगा,जिम्नास्टिक, जूडो–कराटे, कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता करना। इसके लिए संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिए प्रयास करना।
32. विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की सहायता से बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, जागरूकता/प्रशिक्षण/कैम्प सहायता एवं हैण्डपम्प की व्यवस्था करना।
33. परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण परिवार नियोजन टीकाकरण क्षेत्र में जागरूकता /प्रशिक्षण दवा/ कीट वितरण एवं प्रयोग की सुविधा के साथ–साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करना।
34. एड्स, कैन्सर, टी0वी0, कोढ़, मलेरिया, पोलियो, हेपेटाईटिस जैसे रोगों की जानकारी/रोकथाम/नियंत्रण/ जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेन्टल कालेज, मेडिकल कालेज एवं अन्य चिकित्सकी/पैरा मेडिकल महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना
35. ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में भिखारियों, झुग्गी–झोपड़ी एवं मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को आवास, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण एवं सामाजिक चेतना के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना।
36. सरकारी कार्यक्रमों जैसे, कूडा एवं सूडा को संचालित करना।
37. सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय नाली,सड़क निर्माण, खण्डजा, पीच,पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्प लागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा से नीचे

क्रमशः...10

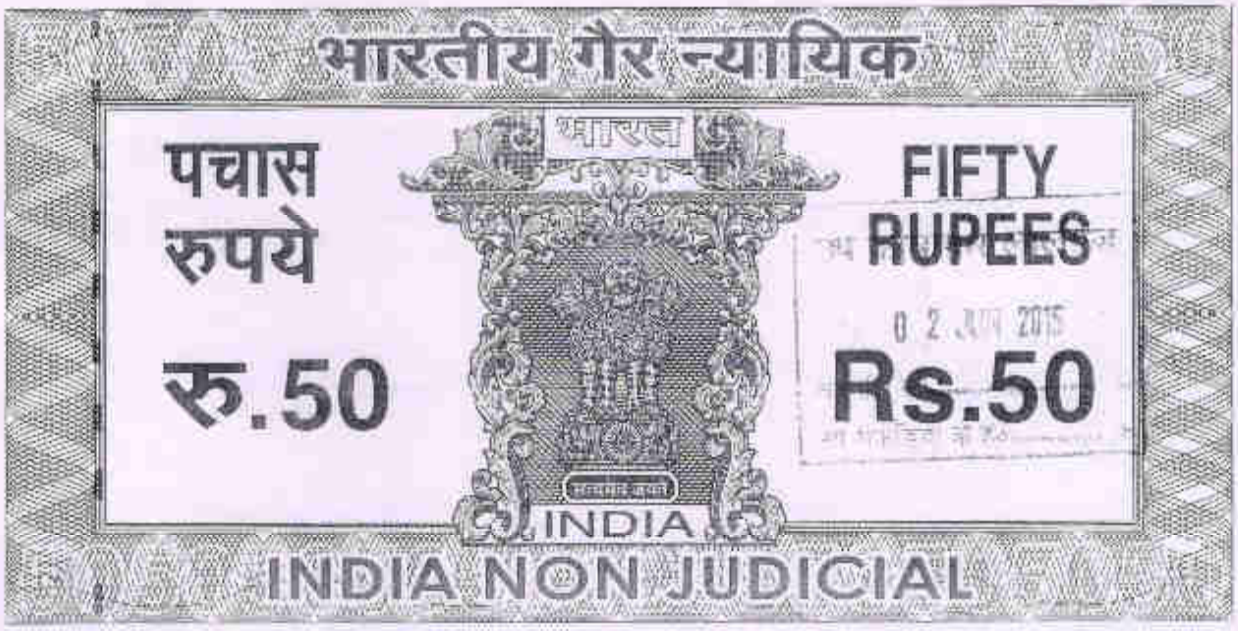

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

02 JUN 2015

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 570549

जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराना।

38. कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नये–नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कराना तथा नये–नये शोधित बीजों को उगाने तथा उससे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा तथा सुरक्षा के लिए आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हें प्रेरित/जागरूक एवं प्रशिक्षित करना। साथ ही साथ कृषि उत्पाद का उन्हें उचित मूल्य पर दिलाना। तिलहन–दलहन तथा कृषि बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार–प्रसार करना तथा स्थायी कृषि कार्यक्रमों द्वारा कृषि कृषकों को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करना।

39. वर्मी कम्पोस्ट एवं साग–सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाले हानि से लोगों को अवगत कराना।

40. बंजर एवं ऊसर भूमि गैर पारम्परिक उर्जा स्रोत, वातावरणीय संरक्षण, जल एवं प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण को विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करना।

41. जल, वायु, मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण की जानकारी/नियंत्रण /उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में युवाओं को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के लिए रचनात्मक दिशा में कारगर कदम उठाना।

42. प्राकृतिक आपदा जैसे–हैजा, प्लेग, भूखमरी,बाढ़, आग, सूखा, अकाल,चक्रवात, भूकम्प, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा प्रभावित गाँव व्यक्तियों एवं पशुओं का सर्वेक्षण एवं पहिचान करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना सम्मिलित है। ऐसी दशा में लोगों को बचाव एवं भावी रणनीति के लिए सहयोग/जागरूकता/प्रशिक्षित

क्रमशः..11

नि० महाप्रिदेव उपाध्याय

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 570550

करना। इसके लिए लोगों/संस्था तथा कम्पनियों आदि से आर्थिक सहयोग भी लिया जा सकता है इसमें शासन एवं प्रशासन का सहयोग भी शामिल है।

43. लावारिस असहाय पशुओं एवं बीमार जानवरों विशेषकर कुत्तों एवं गायों की देखभाल के साथ समुचित संरक्षण तथा उनके पोषण निःशुल्क दवा व अस्पताल की व्यवस्था करना/ गो वंशीय जीवों की सुरक्षा एवं पालन हेतु पशुशाला तथा गौशाला की व्यवस्था करना। प्रतिबन्धित पशुओं के अवैध हत्या को रोकना तथा पशुओं के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए पशु मेले का आयोजन करना।

44. तत्काल सुविधा पहुँचाने हेतु सड़क/ट्रेन/बस/दुर्घटना जख्मी व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बीमार, असहाय, वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुँचाने के लिए अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के लिए मोबाईल इमरजेन्सी एम्बुलेन्स/बैंक की व्यवस्था करना।

45. उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।

46. पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिए काउन्सलिंग केन्द्रों की स्थापना एवं प्रबन्धन करना ताकि महिलाओं तथा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों को कानूनी सहायता की जा सके।

47. गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिए उपाय करना।

48. किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा।

नि0 रुद्र देव उपाध्याय

क्रमशः...12

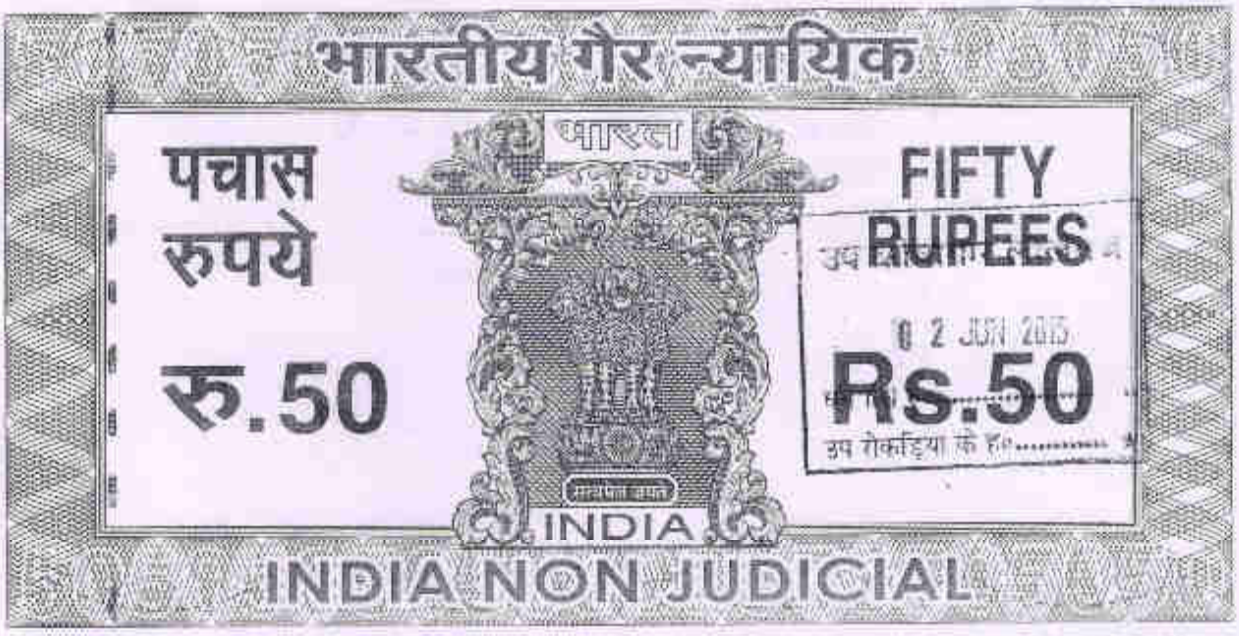

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

02 JUN 2015

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 570551

49. सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य के लिए सर्वे कार्य, डाटा कलेक्शन, जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का किट, पोस्टर, बैनर, श्रव्य दृश्य कैसेट, कठपुतली, सामग्री, डाक्यूमेन्टरी एवं नुक्कड़–नाटक किट तैयार करना जो विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है, जिससे न्यास के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

50. किसी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी तन्त्र अथवा एन0जी0ओ0 , एसोसियेशन न्यास को आर्थिक सहायता देना उनके क्रिया–कलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस संस्था से मिलते हों।

51. सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना। इसमें विभिन्न प्रकार के डोनेशन, ग्रान्ट, गिफ्ट, चल एवं अचल सम्मिलित हैं।

52. विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं को संगठित करना तथाउन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना या आर्थिक सहायता पहुँचाना।

53. संस्था उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसके शाखा या इसके क्रिया कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।

54. सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्य के पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना।

5. **न्यास मण्डल के अधिकार एवं कर्त्तव्यः–**

1. समान उद्देश्यों की अन्य संस्थाओं व न्यासों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
2. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इनके विभिन्न ईकाईयों को सुचारू व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उपसमितियों का संगठन करना।

क्रमशः..13

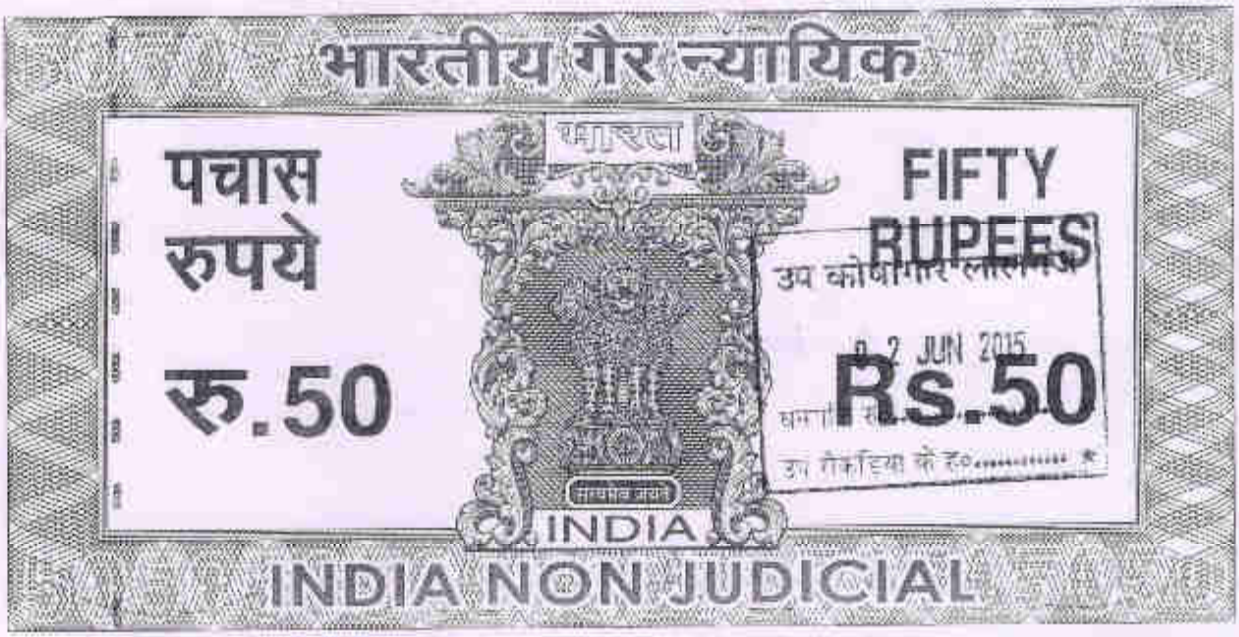

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 570552

3. न्यास के अधीन संस्थाओं व समितियां को सुचारू रूप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उपनियमों को बनाना।
4. न्यास के अधीन स्थातिप संस्थाओं व समितियों की सदस्यस्ता के लिए विभिन्न प्राविधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क दान, चन्दा इत्यादि करना तथा दनकी प्रबन्ध ईकाईयाँ गठित करना।
5. न्यास के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने व उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।
6. न्यास के सम्पत्ति की देखभाल करना तथा न्यास के सम्पत्ति के बढ़ावा के लिए सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यास के सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।
7. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालक के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।
8. न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों,चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों, गौशालों व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारी की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना।
9. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैरसरकारी, विभागों में दान, उपहार, अनुदान व अन्य श्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।
10. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यों को करना।

नि० मर्ह षि देव उपाध्याय

क्रमशः..14

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

02 JUN 2015

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AP 570553

11. **उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम** 1973 में दी गयी व्यवस्था क अनुसार निर्धारित शर्तों को पूर्ण कर स्नातक व परास्नातक स्तर पर शैक्षिक व व्यवसायिक पाठ्यक्रम का संचालन करना और इस आवश्यकता हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की स्थापना करना। इस प्रकार स्थातिप शैक्षिक संस्थाओं क सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए प्रसाशन योजना कर तैयार सक्षम प्राधिकारी / कुलपति से स्वीकृति प्राप्त करना।

6. ***न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था:-***

(क) **न्यास का गठन एवं संचालन–** न्यास का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा।

1. न्यायके मुख्य न्यासी एवं प्रबन्धक हम मुकिर होंगे और न्यास के मुख्य न्यासी को अपने जीवनकाल में अगले मुख्य न्यासी को नामित करने का अधिकार होगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य न्यासी की मृत्यु हो जाय तो न्यास के शेष न्यासियों को मुख्य न्यासी के विधिक उत्तराधिकारी पत्नी व पुत्रों में से योग्य व्यक्ति को बहुमत के आधार पर न्यास का मुख्य न्यासी चयनित करने का अधिकार होगा। परन्तु मुख्य न्यासी की नियुक्ति न्यास मण्डल के शेष सादस्यों द्वारा उनकी योग्यता एवं न्यास हित में कार्य करने की क्षमता को देखते हुए की जायेगी।
2. मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा।
3. न्यास मण्डल के सदस्यों में से न्यासीगण को न्यास की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए न्यास के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये न्यासियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा।

क्रमशः...15

मिठाई लाल द्विवेदी उपाध्याय

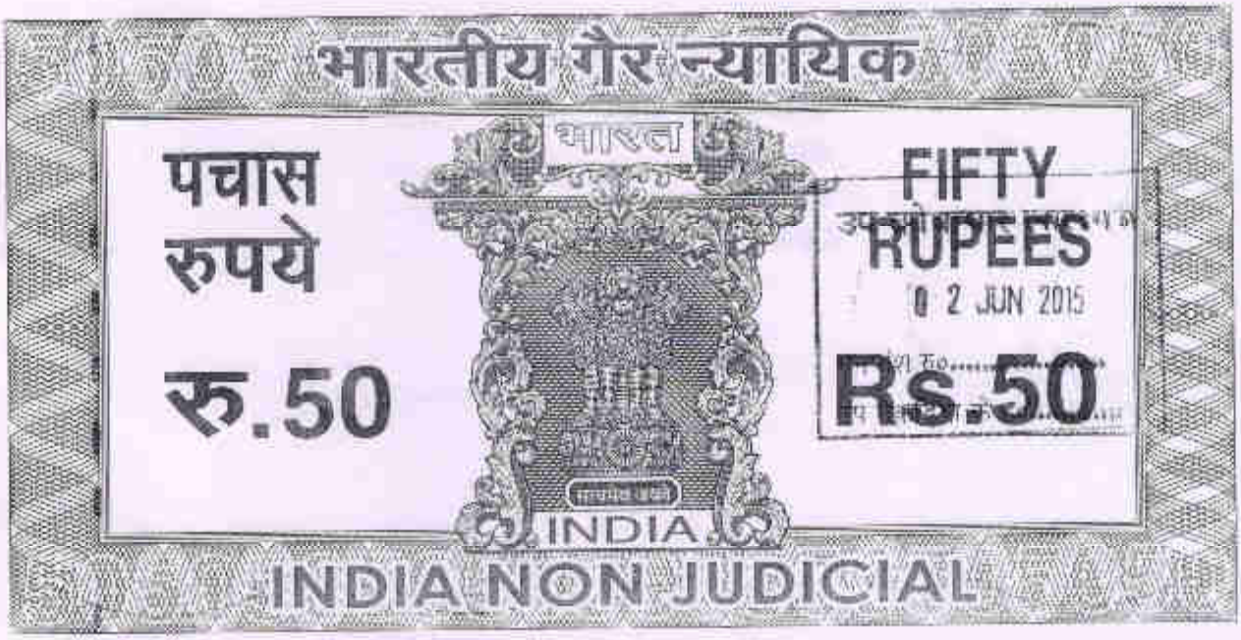

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (15) AP 570554

न्यास के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन न्यास मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। न्यास के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्ही परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सकता तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य न्यासी की देख–रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य न्यासी का निर्णय सभी न्यासियों के लिए मान्य एवं अन्तिम होगा।

4. न्यास मण्डल के किसी भी न्यासी अथवा मुख्य न्यासी के त्याग–पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा लेकिन न्यास मण्डल में इस प्रकार की कोई रिक्त होने पर न्यास मण्डल के पदाधिकारियों के अगले निर्वाचन के पूर्व उसकी पूर्ति सम्बन्धित न्यासी के विधिक उत्तराधिकारियों में से की जायेगी, यदि किसी न्यासी के एक से अधिक उत्तराधिकारी हैं तो उनमें से योग्य एवं न्यासी के प्रति हितैषी भाव रखने वाले पदाधिकारी को न्यास में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव न्यास मण्डल द्वारा बहुमत से किया जायेगा। न्यास मण्डल द्वारा प्रस्तावित विधिक उत्तराधिकारी के न्यासी के रूप में सम्मिलित होने से इन्कार करने की स्थिति में मृतक न्यासी के वंशावली के दूसरे सदस्य के नाम पर विचार किया जायेगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य न्यासी अन्य न्यासियों के रिक्त स्थान की पूर्ति के सम्बन्ध में उक्त रूप में दिये गये उपबन्धों के द्वारा न्यास मण्डल के सदस्यों को अपने मृत्यु के उपरान्त लिखित रूप से उत्तराधिकारी न्यासी नियुक्त करने का अधिकार बाधित नहीं होगा।

5. न्यास मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा न्यास के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा न्यास के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में न्यास मण्डल द्वारा

क्रमशः 16

नि० महर्षि दे० उपाध्याय

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

02 JUN 2015

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AP 570555

उन्हें सामान्य बहुमत से न्यास पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सुयोग्य एवं न्यास मण्डल के न्यासी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा यदि कोई हितैषी व्यक्ति को न्यासी उक्त प्रकार से न्यास से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे न्यास मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

6. न्यास द्वारा संचालित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. न्यास मण्डल का कोई भी न्यासी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन–देन करता है तो न्यास का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित न्यासी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

(ख) ***न्यास की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन:–***

1. न्यास मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में न्यास के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य न्यासी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक के अनुपस्थित व बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति

नि० चन्द्रशेखर उपाध्याय

क्रमशः...17

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

02 JUN 2015

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 570555

उन्हें सामान्य बहुमत से न्यास पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सुयोग्य एवं न्यास मण्डल के न्यासी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा यदि कोई हितैषी व्यक्ति को न्यासी उक्त प्रकार से न्यास से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे न्यास मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

6. न्यास द्वारा संचालित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. न्यास मण्डल का कोई भी न्यासी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन–देन करता है तो न्यास का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित न्यासी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

(ख) __न्यास की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन:–__

1. न्यास मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में न्यास के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य न्यासी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक के अनुपस्थित व बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति

नि० चन्द्रशेखर उपाध्याय

क्रमशः...17

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

57AC 392691

न्यास के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।

न्यास का आय-व्यय का रिपोर्ट करना तथा न्यास मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से न्यास के आय-व्यय का लेखा परीक्षण कराना।

न्यास के वित्त सम्बन्धित लेखों का सुचारु रूप से रख-रखाव करना।

8. *न्यास के कोष की व्यवस्थाः-*

न्यास के कोष को सुचारू रूप से रख-रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा। जिसमें न्यास को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियाँ व ऋण राशियाँ निहित होंगी। न्यास के नाम खोले गये खाते का संचालन मुख्य न्यासी द्वारा अकेले अथवा न्यास मण्डल द्वारा अधिकृत न्यासी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

9. *न्यास के अभिलेखः-*

न्यास के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख-रखाव का दायित्व मुख्य न्यासी का होगा। मुख्य न्यासी द्वारा प्रमुख रूप से न्यास के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, समस्त रजिस्टर व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

10. **न्यास के सम्पत्ति की व्यवस्थाः-**

न्यास की सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी।

यह कि न्यास मण्डल द्वारा न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैद्यानिक माध्यम से न्यास की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में न्यास की ओर से दस्तावेज निस्पादित करने के लिए मुख्य न्यासी व एक अन्य न्यासी जिसे की मुख्य न्यासी उचित समझें अधिकिस्त होंगे।

नि० ग्रन्थ शिव उपाध्याय

क्रमशः..19

UTTAR PRADESH

57AC 392692

यहकि मुख्य न्यासी न्यास के तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन का क्रय एवं विक्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। न्यास मण्डल की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा। या बेच सकेगा।

यह कि न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरूपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार न्यास मण्डल को प्राप्त होगा। न्यास और उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य न्यासी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील न्यास मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

न्यास द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में न्यास मण्डल का निर्णय अन्तिम होगा। परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद को लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पति की व्यवस्था न्यास में निहित रहेगी।

न्यास की आय–व्यय व लेखा के परीक्षा हेतु मुख्य न्यासी द्वारा परीक्षा की नियुक्ति की जा सकेगी।

न्यास द्वारा न्यास के विरुद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी के अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत न्यासी द्वारा की जायेगी।

न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी न्यास मण्डल के अधीन होगा।

क्रमशः 20

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

57AC 392693

न्यास मण्डल बहुमत से स्वयं उन कार्यों को करेगा। अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस कार्य हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त न्यास मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।

न्यास मण्डल, न्यास के लिए वह सभी कार्य जो न्यास के हितों के लिए आवश्यक हो तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।

न्यास के प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास की उद्देश्यों की प्राप्ति एंव पूर्ति की लिए ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्त लागू होंगे।

नि० ब्रह्मर्षि देव उपाध्याय

क्रमशः..21

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

57AC 392694

<u>घोषणा–पत्र</u>

रामराजी महराजी स्मारक जनसेवा न्यास की तरफ से हम **ऋषिदेव उपाध्याय** न्यासी के रूप में यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखकर पढ़ व समझकर स्वस्थ मन व चित से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच–समझकर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है। जिससे की न्यास का विधिवत गठन हो सके।

हस्ताक्षर साक्षीगण विनोद कुमार चतुर्वेदी

1. नाम : विनोद कुमार चतुर्वेदी पुत्र जनार्दन चतुर्वेदी
पता : ग्राम – मवतर चकमवतर,
पोस्ट– गम्भीरपुर, तहसील–लालगंज,
जिला–आजमगढ़ होगा।

नगीना

2. नाम : नगीना पुत्र स्व0 रामाज्ञा
पिता : ग्राम – झिरूवाकमालपुर
पोस्ट– कलन्दरपुर,
तहसील–लालगंज, जिला–आजमगढ़

प्रभुनाथ यादव

टाईपकर्ता : प्रभुनाथ यादव
तहसील परिसर, लालगंज–आजमगढ़
दिनांक : 19.06.2015

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

नि० ऋषिदेव उपाध्याय

(ऋषिदेव उपाध्याय)
संस्थापक / अध्यक्ष
रामराजी महराजी मारक जनसेवा न्यास
ग्राम–मवतर चक मवतर
पोस्ट– गम्भीरपुर, जिला–आजमगढ़

मसविदाकर्ता
लल्ले मिश्र एडवोकेट
विनय चतुर्वेदी एडवोकेट
लालगंज

नि० ऋषिदेव उपाध्याय

12/21 10 19.6.15

19.06.15

59

1/42

29

Fatima 19.6.15